रहता चला आने से कानूनी तोर पर उसको हक हकूक खातेदारी कायम हो चुके थे। लेकिन सेटलमेन्ट वालो की लापरवाही से हाल सेटलमेन्ट में पर्चा लगान एवं खतेानी में वादी के खातेदारी दर्ज नहीं की गई जिस दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है।जिसके लिए वाद प्रस्तुत है।

3 यह है कि मौजा ताउसर के खेत खसरा नम्बर 1084 के रकबा 4 बीघा भूमि पर वादी संवत 2010 के पूर्व से लगातार काबिज है तथा भूमि का बिल काश्त हैं। रेकर्ड में गलत रुप से गोचर दर्ज किया गया है जबकि भूमि सार्वजनिक उपयोग एव उपभोग की नही है न ही गोचर के रुप में काम में आ रही है।वादी का पुरातन कब्जा होने व लगातार कब्जा होने के कारण से वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। व अपने नाम से खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकरी है। जिसके लिए यह वादपेश है।

4 यह है कि विवादित आराजी में अन्य व्यक्तियो का भी पुरातन समय से कब्जा काश्त था जिनके पक्ष में नियमन हो चुका है व कुछ व्यक्तियो ने नियमन करवा लिया। मौके पर भूमि काबिल काश्त है। परन्तु रेकर्ड में गलत रुप से गोचर दर्ज करने के कारण वादी के विरुद्व जुर्माना बेदखली की कार्यवाही होती रही जिनकी जबाब देही अपील व निगरानी आदि वादी द्वारा की जाती रही है। परन्तु मौके से वादी का भोतिक रुप से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त खेत की खातेदारी घोषणा वादी अपने हकमें कराने का अधिकारी हो गया है परन्तु उक्त खेत की खातेदारी हक अधिकरो का इन्द्राज वादी के पक्ष में नही करने व अमल दरामद नही करने व बेदखल करने को आमादा होने पर वादी ने प्रतिवादी गण को धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिनांक 23.9.2002 को भिजवाकर वादी को खातेदार मानकर रेकर्ड में दुरुस्ती करने व खातेदारी अधिकार वादी को देने का लिखाया मगर प्रतिवादीगण ने आज तक उक्त नोटिस की अनुपालना नही की व न ही जबाब दिया तथा प्रतिवादीगण के प्रतिनिधी जुर्माना की वसूली व बेदखल करने को आमादाहो गये जिस वादी के हकूको पर खतरे के बादल छा गये। यदि प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने में सफल हो गये तो वादी जो एक गरीब काश्तकार है को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण को बेदखल करने जुर्माना आदि वसूल करने से हमेशा के लिए रोका जाना आवश्यक है व पुरातन कब्जा होने से वादी के हक मे खातेदारी घोषणा की जानी आवश्यक है इसलिए वाद घोषणा खातेदारी दुरुस्ती रेकर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है।

5 यह है कि बिनाय वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मुतदाविया भू भाग पर वादी का कब्जा काश्त करसण संवत 2010 के पूर्व से ही व उसके बाद लगातार बतौर टिनेन्ट के के कायम होकर रहता चला आने से व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार वादी को इस भूमि के हक हकूक खातेदारी कायम हो जाने के बावजूद भी इस काबिल काश्त भूमि का मौके की स्थिति के विपरीत गोचर गलत दर्ज कर दिया जाने से वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने व धारा 80सी.पी.सी. के नोटिस की अनुपालना नहीं करने व संवत हाले मे बदेखल व जुर्माना वसूल करने को आमादा होने से बमुकाम ताउसर तहसील व जिला नागौर मे पैदा हुआ है। जो माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्रधिकार व श्रवणाधिकार में है।

6 यह है कि यह वाद अन्दर मयाद पेश है।

7 यह है कि इस्तुआ वादी है कि डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर फरमायी जावे

1 यह है कि मोजा ताउसर तहसील व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 1084 के रकबा 4 बीघा भूमि को वादी के तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी का काबिल काश्त किस्म बारानी का खेत होने की घोषणा की जावे।

2 यह है कि माफिक घोषणा के तमाम राजस्व रेकर्ड व अधिकार अभिलेखो में दुरुस्ती कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3 यह है कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायीनिषेधाज्ञा के वादी के कब्जे काश्त करसण में दखलन्दाजी करने व अन्या से कराने आने प्रतिनिधियो से करवाने बेदखली जुर्माना इत्यादि करने व कराने से हमेशा के लिए रोका जावे।

4 यह है कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

5 यह है कि दीगर दादरसी जो भी मुफीद वादी हो वह भी अता फरमायी जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने जवाब दावा प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि साबिका खसरा नम्बर 943 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1084 नकल खतौनी में गैर मुमकिन गोचर राजकीय भूमि दर्ज है। ऐसी भूमियो पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल नोटिस धारा 80 सीपीसी रजिस्ट्री रसीद एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति रशीद नकल खतौनी सम्वत 2022–2025 नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी वकील ने अपनी बहस के दौरान वाद पत्र के तथ्यो पर बल दिया एवं इश्तदुआ की कि वादग्रस्त खसरे पर वादी एवं वादी के कायम मुकाम का वर्षो पुराना कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। भूमि काबिल काश्त है। रेकर्ड में गलत रूप से गोचर गलत दर्ज कर दिया। उक्त भूमि गोचर के रूप में काम नही आ रही है। वादी लगातार कब्जा (एडवर्स पजेशन) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मौजा ताउसर साबिका खसरा नम्बर 943 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1084 राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है। गोचर भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः वादी का वाद खारिज करावे।

बहस वकुलाय पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा जिसके साबिका खसरा नम्बर 943 राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि दर्ज है। वादी ने वाद के समर्थन में ऐसा कोई राजस्व रेकर्ड/गिरदावरियां प्रस्तुत नही की है। जिसे यह साबित हो कि वादग्रस्त खसरे पर सम्वत 2010 से पूर्व से ही वादी एवं वादी के पिता का कब्जा काश्त निरन्तर रहता चला आया हो। उक्त भूमि कभी भी काबिल काश्त नही रही।

माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय में ऐसी भूमि गैर मुमकिन गोचर को खातेदारी अधिकारी दिया जाने से प्रतिबंधित किया है।

उपरोक्त विवेचन से हाल खेत खसरा नम्बर 1084 के रकबा 4 बीघा भूमि पर वादी राजस्व रेकर्ड से साबित नही कर पाया है। उक्त भूमि राजकीय गैर मुमकिन गोचर की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। जिससे वादी का वाद साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 31.05.2016 को मजमे आम में मेरा द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 92/2004

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खीयाराम (फोत) पुत्र श्री श्रीराम के कायम मुकामात :–		1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
1/1 रतनी पत्नी खींयाराम 1/2 नेमीचंद पुत्र खींयाराम 1/3 जीतमल पुत्र खींयाराम 1/4 मच्छाराम पुत्र खींयाराम 1/5 धनराज पुत्र खींयाराम 1/6 हरेन्द्र पुत्र खींयाराम 1/7 घेवरी बेवा जेनाराम जाति माली निवासी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर 2 श्रीमति रतनी देवी बेवा स्व खीमाराम 3 नेमीचन्द पुत्र स्व. खीमाराम 4 जीतमल पुत्र स्व. खीमाराम 5 मच्छाराम पुत्र स्व. खीमाराम 6 धनराज पुत्र स्व. खीमाराम 7 हरेन्द्र पुत्र स्व. जेनाराम 8 श्रीमति घेवरी बेवा स्व. जेनाराम तमाम जाति माली निवासी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर		

दावा राजस्व मुकद्दमा 92/2004 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....व हाजरी.....
.....मिनजानिब मुद्दई व .....
.....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है यह है कि हाल खेत खसरा नम्बर 1084 के रकबा 4 बीघा भूमि पर वादी राजस्व रेकर्ड से साबित नही कर पाया है। उक्त भूमि राजकीय गैर मुमकिन गोचर की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। जिससे वादी का वाद साबित नही होने से खारिज किया जाता है।
..... लीज.....मुबलिक.....
.....बाबत्.....खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.....
.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....13.....माह.....5.....सन् 20.16.....

दस्तखत.....

ओंहदा.....

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनतानां वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 92/2004

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 खीयाराम (फोत) पुत्र श्री श्रीराम के कायम मुकामात :-		1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर
1/1 रतनी पत्नी खींयाराम		2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
1/2 नेमीचंद पुत्र खींयाराम		
1/3 जीतमल पुत्र खींयाराम		
1/4 मच्छाराम पुत्र खींयाराम		
1/5 धनराज पुत्र खींयाराम		
1/6 हरेन्द्र पुत्र खींयाराम		
1/7 घेवरी बेवा जेनाराम जाति माली निवासी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर		
2 श्रीमति रतनी देवी बेवा स्व खीमाराम		
3 नेमीचन्द पुत्र स्व. खीमाराम		
4 जीतमल पुत्र स्व. खीमाराम		
5 मच्छाराम पुत्र स्व. खीमाराम		
6 धनराज पुत्र स्व. खीमाराम		
7 हरेन्द्र पुत्र स्व. जेनाराम		
8 श्रीमति घेवरी बेवा स्व. जेनाराम तमाम जाति माली निवासी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर		

वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरुस्ती
रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा इत्यादि

निर्णय

दिनांक :- 31.05.2016

वादीगण की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :-

1 यह है कि वादी ग्राम ताउसर तहसील व जिला नागौर का स्थायी मूल निवासी है। जहां पर अपने परिवार सहित निवास करता है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि गण है। मोजा ताउसर के साबिका खसरा नम्बर 943 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा भूमि मे से 4 बीघा भूमि पर संवत 2010 के पूर्व से ही वादी लगातार आबाद होकर काबिज रहता चला आया है तथा भू भाग पर काश्त करता आया हैं। उक्त भूमि के चारो और सीवे माठे धोरे पुरातन समय से ही बने हुए है तथा बाड बनी हुई है। उक्त काबिल काश्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जा काश्त रहता आया है।

2 यह है कि साबिक में यह सम्पूर्ण खेत काबिल काश्त था तथा भूमि की किस्म बारानी चारम थी। तथा रेकर्ड में भी काबिल काश्त किस्म बारानी चारम दर्ज थी। जिस हाल सेटलमेन्ट में नया खसरा नम्बर 1084 बनाते हूए सम्पूर्ण 28 बीघा 5 बिस्वा रकबे को गलत रुप से गैर मुमकिन गोचर दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियो को ऐसा करने को कोई अधिकार नही था। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से सावेजनिक उपयोग एवं उपभोग में नही आती है न ही गोचर के काम मे आती है वादी का उक्त 4 बीघा रकबे पर निरन्तर कब्जा काश्त रहता आया है। इस प्रकार मारवाड टिनेन्सी एक्ट व उसके बाद में लागू होने वाले राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व व टिनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त और उसके बाद लगातार कब्जा काश्त वादी का निरन्तर रहता चला आने से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार बरवक्त लागू होने कानून कब्जा आराजी मुतदाविया पर वादी का बतौर टिनेन्ट के होकर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर